HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1820/2026

Budharaj S/o Jagdish Prasad, Aged About 44 Years, , Resident Of Nimaj, Police Station-Jaitaran, District-Beawar, Present Resident Of 12, Juna Hawala, Police Station-Kotwali, District-Pali Rajasthan Pin-306401. Present Tenant Of House Of Kamla Bai Prajapat, Sindi Colony, Pali, Ps Kotwali, Dist. Pali. (Lodged In Dist. Jail Pali)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajak Khan Mr. Pankaj Sain
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

25/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना कोतवाली पाली, जिला पाली** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 495/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **316(2), 316(4) व 318(4) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त परिवादी बैंक में कलेक्शन एजेंट के पद पर कार्यरत है। उसके खिलाफ आरोप यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी बैंक के देनदारों से प्राप्त लगभग 3,51,000/–(अक्षरे तीन लाख इक्कावन हजार) रुपये की राशि बैंक में जमा न कराकर उस राशि का गबन किया है, उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के

खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(4) व 318(4) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त 23.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(4) व 318(4) के दंडनीय अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बुद्धराज पुत्र जगदीश प्रसाद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 495/2025, पुलिस थाना कोतवाली पाली, जिला पाली** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

20-Nitin Jagtiani/-